अपील सूचना अधिकार संख्या 61/2019 (RCMS 2019/00168) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर बनाम प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। उसे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 से 08 बन्दुओं पर सूचना चाही थी। प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर ने उसे बिन्दुवार सूचनाएं नहीं दी है जबकि 30 दिवस के अन्तर्गत उसे सूचना उपलब्ध करवाना जाना आवश्यक था। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत धारा 20(1) व (2) के अन्तर्गत 25000/– शास्ति अधिरोपित करने की कृपा करें एवं उचित हर्जाना दिलवाया जावे।

मैनें प्रार्थी उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2019 (P.O. No. 41F/577578) के द्वारा कुल 08 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उसे लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिहंपुर द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र में निम्न सूचनाएं चाही थी :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रधानाध्यापिका, पी.टी.एस., गजसिंहपुर श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा जांच रिपोर्ट के जवाब में जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को लिखे अपने पत्रांक दिनांक 29.05.2019 के साथ संलग्न दस्तावेज के सम्बन्ध में सूचना :

1. वसीयती कैन्सल दस्तावेजात 30/– के स्टाम्प की फोटो प्रति जिस माध्यम व स्त्रोत से प्राप्त की गई है, दिनांक 17.04.2000, गंगा देवी पत्नी श्री भगवानदस द्वारा अवैध रूप से कूटरचित दस्तावेज के रूप में निष्पादित कराई है, उसकी सूचना व उसकी प्रमाणित प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर कार्यालय से प्रमाणित की हुई, उपलब्ध कराने की सूचना।
2. उक्त दस्तावेज प्राप्त करने में जो राशि जिस विभाग द्वारा जमा कराई गई उसकी राशि की सूचना व रसीद की प्रमाणित प्रति।
3. उक्त दस्तावेज जांच रिपोर्ट के जिस बिन्दु से सम्बन्धित है, उसकी सूचना व उसके सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।
4. उक्त दस्तावेज जिस अधिकारी व कर्मचारी से जिस विभाग से प्राप्त किया गया है, उसकी सूचना व कर्मचारी व अधिकारी के नाम व पद की सूचना।
5 उक्त 30/– का स्टाम्प जिसके नाम जारी हुआ है, उसकी सूचना व दिनांक की सूचना।
6. उक्त 30/– रूपये स्टाम्प को ले जाने वाले का नाम, उसका स्टाम्प जिस नाम से जारी किया गया है, उससे सम्बन्ध की सूचना।
7. उक्त वसीयती दस्तावेज के लिए स्टाम्प जारी करने वाले स्टाम्प वेण्डर का नाम की सूचना।
8. स्टाम्प रूपये 30/– का जिस उद्देश्य से जारी किया गया है, उस रजिस्टर की दिनांक 08.04.2000 की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में **प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने अपने पत्रांक 333–34 दिनांक 22.07.19 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :**

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है :

क्रमांक	बिन्दु	सूचना का जवाब
1	1,2,4	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है **जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए,** सूचना के रूप में प्रत्यार्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है, लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है **कि वह आवेदक को सामग्री उसकी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना**, लोक सूचना **अधिकारी का काम नहीं है।** इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते, सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है। बिन्दु संख्या 1,2,4 में संदर्भित क्रमांक का पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2	3,5,6,7,8	बिन्दु संख्या 3 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

-sd-
प्रधानाध्यापक
पटवार प्रशिक्षण केन्द्र
गजसिंहपुर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके अतिरिक्त प्रधानाधपक पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने उक्त अपील के सम्बन्ध में अपने पत्रांक 373 दिनांक 16.08.2019 में निवेदन किया है कि :

> इस कार्यालय में इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण संलग्न कर संभव नहीं है। श्रीमान्जी प्रधानाध्याक, पटवार प्रशिक्षण शाला, गजसिंहपुर का अपील अधिकारी निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर है। (आदेश की प्रति संलग्न है।) अतः अपील को निरस्त करने का कष्ट करें।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पटवार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थन, अजमेर के पत्रांक प.1(78)राअप्रसं/स्था./08 दिनांक 03.01.2006 तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है

चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है कि प्रार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सक्षम प्रथम अपीलीय न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्याक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर